

28/6/19

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण वकील उप०।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत ग्राम-बंधडा, पटवार हल्का बंधडा, भु- अभिलेख निरीक्षक- गिराव तह० गडररोड़ के खसरा नम्बर 273 रकबा 30.06 बीघा भूमि आई हुई है।

प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कस्त कर लेते हैं। तथा प्रार्थीगण को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 06 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए।

अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 06 के सम्मन तामिल हो गए हैं। सम्मन तामिल होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीगण वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थीगण की पक्की नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 03/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 4745

दिनांक- 24/9/19


प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ओमप्रकाश पुत्र वासुदेव, जाति- महेशवरी, नि० बंधडा, तह० गडरारोड़ वगैरा (3)		चंदाराम पुत्र कानाराम वगैरा (06)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन पर वकील प्रार्थी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार गडरारोड़ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में ग्राम बंधडा, पटवार हल्का बंधडा, भू- अभिलेख निरीक्षक - गिराव के खेत खसरा नम्बर 273 रकबा 30.06 बीघा भूमि के चारों तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थीगण कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/ 4746-4751

दिनांक- 24/9/19

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


1. तहसीलदार गडरारोड़ को सूचनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक गिराव को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी बंधडा को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक गिराव द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना गिराव को पालनार्थ।
5. प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र वासुदेव वगैरा (3) को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण चंदाराम पुत्र कानाराम वगैरा (06) को सूचनार्थ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

— आदेश —

अतः प्रार्थीगण ओमप्रकाश पुत्र वासुदेव, जाति— महेश्वरी, नि० बंधडा, तह० गडरारोड़ वगैरा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बंधडा, पटवार मण्डल बंधडा, भु— अभिलेख निरीक्षक — गिराब, तह० गडरारोड़, के खसरा नम्बर 273 रकबा 30.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमंबदी हेतु तहसीलदार गडरारोड़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रूपये प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंबदी दोनो पक्षों की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो तो संबंधित पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

